

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 01/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्गे :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण गर्ग उम्र 46 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी आदर्श नगर वार्ड नं0 3 बारां जिला बारां (मौके पर मौजुद विक्रेता) मैसर्स बालाजी प्रोविजन स्टोर, आदर्श नगर कोटा रोड बारां जिला बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)
2-श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.06.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.3.2017 को मैसर्स बालाजी प्रोविजन स्टोर, आदर्श नगर बारां पर पहुंचा। वहाँ पर श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण गर्ग (मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 15.3.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारां के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य वस्तु धनिया पाउडर (खुला) विक्रेता से 02 कि०ग्रा० वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र स्व० लक्ष्मीनारायण गर्ग को 140/- रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री महावीर व श्री सुरजमल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु धनिया पाउडर (खुला) 2 कि०ग्रा० को चार नमूना भाग में अलग-अलग कर प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-708 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-708 नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र स्व० लक्ष्मीनारायण गर्ग ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/109 दिनांक 20.04.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 224/FSSA/Kota/ Act/2017 /200 दिनांक 06.04.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) का नमूना **There is Violation of Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Regulatin on Sale) Regulation 2011, as the Product is sold in Loos Condition** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान हेतु मैसर्स बालाजी प्रोविजन स्टोर, आदर्श नगर बारों जिला बारां से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं दस्तावेजों की सूचना रजि० पत्र एफएसएसए/2017/110 दिनांक 24.04.2017 एवं 247 दिनांक 12.10.2017 द्वारा चाही गई, जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स बालाजी प्रोविजन स्टोर द्वारा कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात कार्यालय रिकार्ड से आधार कार्ड की छायाप्रति एवं खाद्य रजि० पत्र प्राप्त किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 10.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्गे सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) 2 कि०ग्रा० को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच में **Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Regulation on Sale) Regulation 2011, as the Product is sold in Loos Condition** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(V) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की उप धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) 2 कि०ग्रा० वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी की दुकान से क्रय किया गया था। उक्त धनिया पाउडर (खुला) अप्रार्थी द्वारा निर्मित नहीं किया जाता था, बल्कि कस्टमर खडा मसाला लेकर आता है उसे ही पीसता है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करता है तथा सेम्पल में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गई है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं पाया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी की माता बुजुर्ग है व बीमार रहती है। अप्रार्थी छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी की दुकान भी ज्यादा नहीं चलती है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) 2 कि०ग्रा० जांच में **Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Regulation on Sale) Regulation 2011, as the Product is sold in Loos Condition** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(V) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 58 के तहत, अप्रार्थी को 20,000/- रुपये अक्षरे बीस हजार रुपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्गे चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)